कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/26356/2017/ 588 भोपाल, दिनांक 15/02/2022

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़,
नई दिल्ली–110003

विषयः– वन मंडल, पश्चिम छिन्दवाडा के परिक्षेत्र जामई के ग्राम जुन्नादेव विशाला के कक्ष क्र. 454 के रकबा 14.000 हे. वनभूमि भारत खुली खदान फेस–2 कोयला उत्खनन हेतु वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का व्यपवर्तन का आनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/26356/2017

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र./ 8-112/2006-FC दिनांक 16 / 12 / 2021

---0---

विषयांकित परियोजना के संबंध में आपके द्वारा संदर्भित पत्र क्र./8-112/2017-FC दिनांक 16/12/2021 से 13 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी मुख्य वन संरक्षक, छिन्दवाडा के पत्र क्रमांक 300 दिनांक 07.02.2022 से प्राप्त हुई है प्राप्त जानकारी अनुसार बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
i	The proposal has not been recommended by the CF Chindwara, however the State Govt. has not given any specific reason or justification to not agree with his opinion.	इस प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक, छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्ताव में अनुशंसा इस कारण से नहीं की गई थी कि प्रस्तावित वनभूमि में कुछ वर्ष पूर्व वृक्षारोपण किया गया था जिस पर रू. 4.65 लाख रूपये व्यय हो चुके थे। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा इस शर्त पर अनुमोदन किया गया है कि प्रकरण में किये गये रोपण पर व्यय की प्रतिपूर्ति आवेदक संस्था द्वारा की जायेगी। इस प्रकार जिस कारण मुख्य वन संरक्षक ने प्रस्ताव स्वीकृत करने की अनुशंसा नहीं की थी, उस कारण का निराकरण राज्य शासन द्वारा अपनी अनुशंसा में कर दिया है।
ii	The Cost-Benefit Analysis is required to be submitted as per the Comprehensive guidelines/ Handbook issued by the Ministry on 28.03.2019.	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की गाइड लाईन अनुसार 20.00 से कम के प्रकरणों में कास्ट बेनिफिट एनालिसेस आवश्यक नहीं है।
iii	The complete compliance of conditions stipulated in earlier approvals accorded vide Ministry's letter no. 8-112/2006-FC dated 17.07.2008 (68.704 ha.) and letter no. 8-112/2006-FC dated 17.01.2015 (19.50 ha.) is required to be submitted.	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र क्र. 8-112/2006-FC दिनांक 17.07.2008 से वन कक्ष क्रमांक 454 के रकबा 68.704 हे. वनभूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसका शर्तवार पालन प्रतिवेदन Annexure-I पर संलग्न है। इसी प्रकार भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा पत्र क्र.112/2006-FC दिनांक 17.01.2015 से वन कक्ष क्रमांक 454 के रकबा 19.50 हे. वनभूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसका शर्तवार पालन प्रतिवेदन Annexure-II पर संलग्न प्रस्तुत है।

–2–

iv	The KML files of the 68.704 ha forest area diverted for under-ground mining and 19.50 ha forest diverted for open cast mining within forest compartment No. 454 in favour of same user agency may be submitted for better understanding of the present proposal.	रकबा 68.704 हेक्टेयर भूमिगत खदान एवं रकबा 19.50 हेक्टेयर खुली खदान की KML File संलग्न प्रस्तुत है।
v	The total Mining lease area is reported as 218.48 ha whereas the Mining lease area as per the submitted KML file is 441.380 ha. This discrepancy needs to be clarified.	कुल माईनिंग लीज क्षेत्र रकबा 218.48 हेक्टेयर की KML File संलग्न प्रस्तुत है।
vi	As per the DSS analysis some non-forestry activities are visible outside the lease boundary and in the adjoining areas. This needs clarification.	इस बिन्दु पर वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि माईनिंग लीज 218.48 हेक्टेयर क्षेत्र के बाहर लगे क्षेत्र में कोई गैर–वानिकी गतिविधियॉ नही चल रही है।
vii	As per the DSS analysis plantation activities have been carried out within the 14 ha forest land proposed for diversion. The detail and status of plantations within the proposed area may be submitted.	वन विकास निगम, मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 1996 में 14.00 हेक्टेयर वनभूमि में सागौन के 5500 पौधे रोपने के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिसमें से 4320 पौधे फरवरी 2020 तक जीवित थे।
viii	As per the DSS analysis of proposed CA sites, it appears that some plantation activities have already been carried out in the past. The State Govt. may look into the matter and propose suitable areas for Compensatory Afforestation. The Site suitability certificate for the proposed CA sites is also required to be submitted.	पूर्व में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अनुपयुक्त क्षेत्र को पृथक कर संशोधित क्षतिपूर्ति वनीकरण की KML File पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। नवीन वृक्षारोपण योजना तथा रोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
ix	CA scheme has been prepared in the year 2017-2018, which is required to be revised as per the latest wage rates.	क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना वर्तमान दर वर्ष 2022–23 के आधार पर तैयार की गई है।
x	Legible copies of approved Mining plan along with the progressive mine closure plan/Reclamation plan is required to be submitted.	अनूमोदित माईनिंग प्लान/माईन क्लोजर प्लान Annexure-III & Annexure-IV पर संलग्न प्रस्तुत है।
xi	A Geo-referenced detailed land use plan for entire Kanhan area showing the entire mining lease/mines of M/s WCL along with mineralized area (Coal seam) may be submitted.	आवेदक संस्था द्वारा पूरे कन्हान क्षेत्र के लिए भू–संदर्भित विस्तृत भूमि उपयोग योजना, जिसमें खनिज क्षेत्र (कोयला सीमा) के साथ मेसर्स WCL के सम्पूर्ण क्षेत्र को दर्शाया गया है जियो रिफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जो Annexure-V में संलग्न है।

xii	As per online Part-I on PARIVESH portal the user agency has reported that Environmental Clearance is not required in the instant proposal. This needs clarification.	यह खदान घोरावाड़ी ओपन कास्ट माइन का ही भाग है। घोडावाडी माइन से 1.5 MTPA हेतु भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक J-11015/367/2008-IA.(M) दिनांक 26/12/2008 से जारी की गई है। इस स्वीकृति की प्रति Annexure-VI पर संलग्न प्रस्तुत है।
xiii	The proposed land is under plantation and management of Forest corporation and has been recommended for the land diversion needs to be clarified. This also needs to be clarified whether the Forest corporation has been given any lease on the forest land in question under FCA or not.	वन विकास निगम, मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 1996 में 14.00 हेक्टेयर वनभूमि में सागौन के 5500 पौधे रोपने के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिसमें से 4320 पौधे फरवरी 2020 तक जीवित थे। इस वृक्षारोपण पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति आवेदक संस्था द्वारा की जायेगी। मध्यप्रदेश वन विकास निगम को राज्य शासन द्वारा समय–समय पर वृक्षारोपण हेतु वन भूमि उपलब्ध कराई जाती है। इस हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2(3) के तहत किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

अतः प्रकरण में स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–1/ FP/MP/MIN/26356/2017/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1 वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, पश्चिम छिन्दवाड़ा मध्य प्रदेश
2 महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पोस्ट डुंगरिया तहसील जामई जिला–छिन्दवाडा मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल